

349/4

प्रपत्र - 8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत .....  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गंगापुड़ा ..... व भू अ. नि. ...  
 खारी चारनाम की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत ...../नायब तहसीलदार ..... की  
 अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गंगापुड़ा व  
 चक्र नं. 2 तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 व 2074-2077  
 में खाता संख्या 163, 192, 59 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया  
 जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	गंगापुड़ा	163	अशोक पुत्र कानीराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार शेष अंकन जमाबंदी अनुसार	अश्विनी कुमार पुत्र कानीराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार शेष अंकन जमाबंदी अनुसार
2.	गंगापुड़ा	192	अशोक पुत्र कानीराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार शेष अंकन जमाबंदी अनुसार	अश्विनी कुमार पुत्र कानीराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार शेष अंकन जमाबंदी अनुसार
3.	चक्र नं. 2	59	अशोक पुत्र कानीराम जाति कुम्हार सा. गंगापुड़ा खातेदार शेष अंकन जमाबंदी अनुसार	अश्विनी कुमार पुत्र कानीराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार शेष अंकन जमाबंदी अनुसार

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा. कलक्टर .....

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कोलायत को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद  
शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
कोलायत जिला-बीकानेर

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर .....

Scanned by CamScanner

